सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। ~~वादी वकील~~ तहसीलदार सेड़वा के पत्र क्रमांक 4142 दिनांक 30.12.22 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। वादी वकील ने बहस सुनने का निवेदन किया। वादी वकील की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया। वादी वकील ने निवेदन किया कि तहसीलदार सेड़वा से प्रेषित मौका रिपोर्ट अनुसार वादी मीठूखां बाउन्ड्री खेदवाड़ा किया जावे पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सेड़वा से प्रेषित मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि वादी का वाद प्रारम्भिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः प्रारम्भिक डिक्री निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते विभाजन प्रस्ताव के इन्तजार में अग्रिम दिनांक 18/01/23 को पेश हो।

18/01/23 पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उप० तहसीलदार सेड़वा से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। वादी वकील ने विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनने का निवेदन किया। वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। जिससे प्रतीत होता है कि वादी का वाद स्वीकार करने योग्य है। अतः निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से कम हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा

(पीठासीन अधिकारी : श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर :– 217 / 2022

दावा बाबत् :–राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188,53 RT Act.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. रामकिशन पुत्र स्व. जांवताराम जाति विश्नोई निवासी सेडवा तहसील सेडवा जिला बाडमेर		1. भाखरराम पुत्र तेजाराम 2. सुखराम पुत्र तेजाराम 3. पूनमचंद पुत्र मालाराम 4. नेनूदेवी पत्नी बाबूलाल 5. पप्पूदेवी पत्नि मोहनलाल 6. भावना पुत्री बाबूलाल 7. राजूराम पुत्र बाबूलाल 8. वर्षा पुत्री बाबूलाल 9. वंसूधरा पुत्री बाबूलाल 10. गीता पुत्री बाबूलाल जाति विश्नोई निवासी सेडवा तहसील सेडवा जिला बाडमेर 11 तहसीलदार सेडवा

अधिवक्तागण – वादीगण वकील – **श्री बाबुलाल** जानी

–:निर्णय :–

दिनांक 31.05.2022

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा दिनांक 12.01.2023 को प्राथमिक डिक्री जारी की गयी थी जिसकी पालना में तहसीलदार सेड़वा के पत्रांक / भू.अ. / 2023 / 286 दिनांक 16.01.2023 द्वारा मौजा सेडवा पटवार क्षेत्र सेड़वा तहसील सेड़वा में खेत खसरा संख्या 528 / 171 रकबा 06. 3536 का विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। वादी वकील उप0। वादी वकील ने तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनने का निवेदन किया गया। वादी वकील की बहस सुनी गई। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार ग्राम सेडवा पटवार क्षेत्र सेड़वा तहसील सेड़वा में खेत खसरा संख्या 528 / 171 रकबा 06.3536 भूमि का विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु वादी रामकिशन तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 उप.। उपर्युक्त पक्षकारों व मौतबरान की उपस्थिति में भूमि का मौका मुआयना किया गया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो इस प्रकार है–

क्र.सं.	नाम खातेदारान	ग्राम	ख. नं.	रकबा	किस्म	लगान	बरंग

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

	...मकिशन पुत्र जांवता कोम विश्नोई सा0 देह खातेदार	सेडवा	528 / 171	0.5295 हैक्टेयर	बा.दो.	0.16	**लाल**
2	भाखरा पुत्र तेजा 14560 / 58241 हि. सुखराम पुत्र तेजा 14560 / 58241 हि. पप्पूदेवी पत्नी मोहनलाल 14560 / 58241 हि. पूनमचंद पुत्र मालाराम 7280 / 58241 हि. गीता पुत्री बाबूलाल 1213 / 58241 हि. नेनूदेवी पत्नी बाबूलाल 1213 / 58241 भावना पुत्री बाबूलाल 1213 / 58241 राजुराम पुत्र बाबूलाल 1214 / 58241 वर्षा पुत्री बाबूलाल 1214 / 58241 वसुन्धरा पुत्री बाबूलाल 1214/58241 कोम विश्नोई सा. देह खातेदार	सेडवा	528 / 171	5.8241 हैक्टेयर	बा.दो.	1.81	**आसमानी**

तहसीलदार सेड़वा को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.01.2023 निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिले दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2023 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा